कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर

कमांक/ओ.ए.डी–3/नि.प्रति.क. 112/2019–20/06

दिनांक 02-04-19

प्रति

प्राचार्य,
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सागर (म.प्र.)

विषयः निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 1/2019 तक पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपके कार्यालय के लेखाओं की विषयांकित अवधि की लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के नियम–197 के सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि **इस निरीक्षण प्रतिवेदन का उत्तर चार सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें । यदि इस समय–सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदन की सभी आपत्तियों का अन्तिम उत्तर देना व्यवहारिक नहीं है तो अन्तरिम उत्तर भेजा जाऐ और उसमें उस दिनांक का उल्लेख अनिवार्यतः किया जाए जब तक अन्तिम उत्तर भेजा दिया जाऐगा।**

2. लेखापरीक्षा के दौरान आपके कार्यालय द्वारा जो जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे उसी के आधार पर यह निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार की गई है । यह कार्यालय किसी भी निरंक/गलत सूचना एवं जानकारी के लिये उत्तरदायी नहीं है ।

3. पिछले निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति वर्तमान निरीक्षण प्रतिवेदन के भाग–1 (ख) में दर्शाई गई है । लम्बित कण्डिकाओं का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक–"क" में दर्शाया गया है इनके निराकरण को प्राथमिकता प्रदान करें । निरीक्षण प्रतिवेदन एवं नमूना जाँच टिप्पणी में सम्मलित हानि/गबन, धोखाधडी, अधिक भुगतान अस्थाई अग्रिम एवं वसूली से सम्मबन्धित कण्डिकाओं के निराकरण को वरीयता प्रदान करें ।

4. वसूली/समायोजन की स्थिति में एम.पी.टी.सी.–6 एवं चालान की प्रति, अपलेखन की स्वीकृति और व्यय के व्हाउचर आदि की प्रमाणित जानकारी इस कार्यलय को प्रेषित करने पर ही कण्डिकाओं का निराकरण मान्य किया जाएगा ।

5. निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी भेजी जा रही है।

निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(हस्ताक्षर) 2/4/19

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ओ.ए.डी–3

अनुलग्नक – क से ख

कमांक/ओ.ए.डी–3/नि.प्रति.क. 112/2019–20/

दिनांक

प्रतिलिपिः निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि निरीक्षण की कण्डिकाओं का उत्तर इस कार्यालय को निर्धारित समय–सीमा में भिजवाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल। – 1,2,3,6,
2. आयुक्त/संचालक उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन मध्यप्रदेश, भोपाल । 1,2,3,4,5,6,
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/डी.पी.सेल (स्थानीय) । – निरंक
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राज्य वित्त – 6

Exam./ लेखा
Bhojak
12.4.19

(हस्ताक्षर)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ओ.ए.डी–3

(मुहर) क्र. 379/19 दि. 12/04/19

(1)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर के लेखाओं/अभिलेखों की अवधि 04/2010 से 01/2019 तक का लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग–1

(क) प्रस्तावना

(1) सामान्य

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर, विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश एवं शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है।

लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण, चयनित विषय वस्तु एवं चयनित विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत मापदण्ड, Assignment Plan के अनुसार निर्धारित किये गये है। लेखापरीक्षा अवधि में माहवार व्यय विवरण के आधार पर माह मे अधिकतम व्यय को आधार मानकर विस्तृत लेखा परीक्षा के लिये चयन किया गया है।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर के लेखाओं/अभिलेखो अवधि 04/2010 से 01/2019 तक की, नमूना लेखा परीक्षा कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर के स्थानीय लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 06.02.2019 से 15.02.2019 तक की गई। यह लेखापरीक्षा सी. एण्ड ए.जी. (डी.पी.सी.) एक्ट 1971 की धारा 13 के प्रावधान के अधीन सम्पन्न की गई।

इसके पूर्व की लेखा अवधि 04/2006 से 03/2010 तक की लेखापरीक्षा दिनांक 03.02.2011 से 08.02.2011 तक सम्पन्न की गई थी।

लेखापरीक्षा आवृत अवधि में जिन अधिकारियों ने कार्यालय प्रमुख और आहरण एवं संवितरण अधिकारी का कार्यभार संभाला उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1.(अ) कार्यालय प्रमुख

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापना की अवधि
1	डा0 आशालता दुबे	प्राचार्य	27.09.2006 से 26.08.2010
2	डा0 जे.पी.एन.पांडे	प्राचार्य	27.08.2010 से 30.11.2014
3	डा0 अर्चना वर्मा	प्राचार्य	01.12.2014 से 22.07.2015
4	डा0 ए.के.पटेरिया	प्राचार्य	23.07.2015 से 02.09.2015
5	डा0 चन्दा रत्नाकर	प्राचार्य	03.09.2015 से 24.02.2017
6	डा0 अर्चना वर्मा	प्राचार्य	25.02.2017 से 06.04.2017
7	डा0 ए.के.पटेरिया	प्राचार्य	07.04.2017 से 21.07.2017
8	डा0 गोपाल प्रसाद चौधरी	प्राचार्य	22.07.2017 से 07.08.2017
9	डा0 ए.के.पटेरिया	प्राचार्य	08.08.2017 से निरंतर

1. (ब) आहरण एवं संवितरण अधिकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापना की अवधि
1	डा0 आशालता दुबे	प्राचार्य	27.09.2006 से 26.08.2010
2	डा0 जे.पी.एन.पांडे	प्राचार्य	27.08.2010 से 30.11.2014
3	डा0 अर्चना वर्मा	प्राचार्य	01.12.2014 से 22.07.2015
4	डा0 ए.के.पटेरिया	प्राचार्य	23.07.2015 से 02.09.2015
5	डा0 चन्दा रत्नाकर	प्राचार्य	03.09.2015 से 24.02.2017
6	डा0 अर्चना वर्मा	प्राचार्य	25.02.2017 से 06.04.2017
7	डा0 ए.के.पटेरिया	प्राचार्य	07.04.2017 से 21.07.2017
8	डा0 गोपाल प्रसाद चौधरी	प्राचार्य	22.07.2017 से 07.08.2017
9	डा0 ए.के.पटेरिया	प्राचार्य	08.08.2017 से निरंतर

(1) गत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक कार्यालय/खंड से सम्बन्ध खंडीय लेखाकार/लेखा अधिकारी कार्यरत है।

क्र.	नाम	पद	कार्यालय
लागू नहीं			

(2) सामान्य ढाँचा/क्रियाकलाप/कार्यालय स्थापना का उद्देश्य–

शासकीय नियमानुसार समय–समय पर शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन, छात्राओं के लिए शासन से स्वीकृत गतिविधियों का संचालन एवं खेलकूद प्रतियोगितायें, आनंद उत्सव मेला आदि का संचालन कर छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाता है तथा अध्ययनरत छात्राओं को विषय विशेषज्ञों द्वारा अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदत्त किया जाना संस्था का मुख्य उद्देश्य है ।

(3) आंतरिक जांच एवं पर्यवेक्षण/प्रक्रियाओं का अनुपालन/रिकार्डों की सामान्य स्थिति।

(अ) मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 291 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक माह मे एक बार कार्यालयीन लेखा एवं अभिलेखों का विस्तृत निरीक्षण करना चाहिए तथा पाई गई अनियमितताओं और उनके निराकरण हेतु की गई कार्यवाही का त्रैमासिक प्रतिवेदन, नियंत्रण अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

(ब) मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 293 के अनुसार नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के कार्यालयीन अभिलेखों का वर्ष मे एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

(स) लेखापरीक्षा आवृत्त अवधि में संचालक कोष एवं लेखा द्वारा कार्यालयीन लेखाओं/ अभिलेखो का निरीक्षण किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

(द) लेखा परीक्षा अवधि में विभागीय लेखा परीक्षा दल द्वारा कार्यालय के अभिलेखों की लेखा परीक्षा कराया जाना चाहिये । इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

(4) बजट आवंटन एवं व्यय :–

कार्यालय के विगत वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार थी:–

(राशि ₹ लाख में)

मद	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
वेतन एवं भत्ते	1015.92	1013.42	1069.45	1069.45	1058.09	1058.09
मजदूरी	00	00	00	00	00	00
यात्रा व्यय	00	00	0.28	0.28	0.08	0.08
कार्यालयीन व्यय	2.87	2.87	3.77	3.77	7.64	7.64
योजना	104.86	89.84	134.50	134.50	121.02	121.02
अन्य व्यय	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
यू.जी.सी.	83.46	11.53	75.97	19.70	115.40	69.37
विश्व बैंक (रूसा)	00	00	55.22	55.00	106.48	67.54

(5) विगत तीन वर्षों में अर्जित राजस्व एवं व्यय (₹ लाख में)

वर्ष	प्राप्ति की मदें	शीर्ष	धनराशि प्राप्त	धनराशि व्यय/प्रेषण
2015–16	सूचना का अधिकार	0202	188.00	188.0
2016–17	सूचना का अधिकार, गॉव की बेटी	0202	5106.00	5106.0
2017.18	सूचना का अधिकार	0202	56.00	56.0

(6) स्वीकृत एवं कार्यरत पद की स्थिति

झापन–2 में अनुसार

खण्ड द्वारा कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) म. प्र ग्वालियर को .....तक के प्रपत्र–51 प्रेषित किये गये थे, जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय मे परिलक्षित असमायोजित अवशेष धनराशि निम्नवत थी (निर्माण इकाईयों के सम्बन्ध में)

भाग – प्रथम

भाग – द्वितीय ₹ लागू नही

खण्ड की स्टॉक पंजिका 4–एस / 12 की अर्धवार्षिक बन्दी एवं यंत्र संयंत्र पंजिका 4–टी / 15 की वार्षिक बन्दी क्रमश माह.....एवं .....तक की गयी थी । (निर्माण इकाईयों के सम्बन्ध में)

उपरन्त लेखो मे माह.....तक अवशेष असमायोजित धनराशि निम्नवत थी (निर्माण इकाईयों के सम्बन्ध मे)

(i) लो० नि० प्रकीर्ण अग्रिम ₹

(ii) नगद परिशोधन ₹ लागू नही

(iii) सामग्री कय परिशोधन ₹

(iv) स्टॉक ₹

(v) निक्षेप ₹

भाग– प्रथम

भाग– द्वितीय

भाग– तृतीय

भाग– चतुर्थ

भाग– पंचम

8. पर्यावरण से सम्बन्धित सूचना निम्नवत थी ।

क्रम सं.	मदो के नाम जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है	वातावरण कितना प्रभावित हुआ (इकाई / प्रतिशत)	टिप्पणी
1	वायु	निरंक	निरंक
2	जल		
3	जमीन		
4	ध्वनि		
5	बैटरीज		
6	प्लास्टिक		
7	जैव–चिकित्सा अपशिष्ट		
8	जोखिम वाले अपशिष्ट (रेडियोधर्मिता–ऐसे चिकित्सालयों में कोबाल्ट मशीने प्रयोग मे लायी जाती है।)		
9	परमाणु चिकित्सा–रेडियोधर्मी		

प्रौद्योगिकी की लेखा परीक्षा (आई.टी. लेखा परीक्षा)

क्रम संख्या	विवरण	मात्रा	मूल्य
1	हार्डवेयर लेजर प्रिंटर	03	23130
2	सॉफ्टवेयर		
3	नेटवर्किंग		
4	आई.टी. अनुप्रयोगों		
5	आर.डी.बी.एम.एस. डाटाबेस		
6	लेखा परीक्षा इकाई में कम्प्यूटरीकरण– विभाग में इ. निविदा, यातायात गणना।		

भाग–2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(अ) गंभीर अनियमिततायें

—निरंक—

(ब) सामान्य वित्तीय अनियमिततायें

कंडिका–1 निधियों के व्यपवर्तन के संबंध में राशि ₹ 4.00 लाख।

As per Budget Manual Volume-I chapter-8.3 (5) regarding Budget control which requires BCO to ensure that "expenditure is incurred for the purpose for which funds have been provided." As per 8.5 DDO's are authorized to draw money from the treasury on behalf of BCO's and the responsibility of DDO's is to ensure that "Conditions preliminary to incurring of expenditure are satisfied namely that sanction of the competent authority exist and funds to cover the charge fully have been placed at their disposal.

मध्य प्रदेश शासन, संचालनालय, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल द्वारा जारी आवंटन व व्यय रिपोर्ट में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर (डी.डी.ओ.कोड–3303802001) के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के लिए लेखा शीर्ष 2202–03–107–5760 (छात्र/छात्राओं को आवागमन सुविधा) तथा 2202–03–107–5765 (प्रयोगशाला उन्नयन) में बजट आवंटन व व्यय दोनों क्रमशः ₹ 199549/– व ₹ 200000/– दर्शाया गया है।

कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर के अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान पाया गया कि लेखा शीर्ष 2202–03–107–5760 (छात्र/छात्राओं को आवागमन सुविधा) में किए गए प्रावधान ₹ 199549/ को योजना शीर्ष 5765 – प्रयोगशाला उन्नयन पर व्यय किया गया है तथा लेखा शीर्ष 2202–03–107–5765 (प्रयोगशाला उन्नयन) में किए गए प्रावधान ₹ 200000/ को योजना शीर्ष 5760 – छात्र/छात्राओं को आवागमन सुविधा पर व्यय किया गया है। इस प्रकार एक मद की आवंटित राशि का दूसरे मद में व्यय कर निधियों का व्यपवर्तन किया जाना पाया गया।

आपत्ति इंगित किए जाने के बाद कार्यालय प्रमुख द्वारा उत्तर में कहा गया कि राशि जिस शीर्ष में आवंटित की गई है उसी शीर्ष से आहरण किया गया है।

उत्तर लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि कोषालय अभिलेखों के अनुसार छात्र–छात्राओं के आगमन हेतु आवंटित राशि का व्यय प्रयोगशाला उन्नयन पर तथा प्रयोगशाला उन्नयन हेतु आवंटित राशि का व्यय छात्र–छात्राओं के आवागमन पर होना पाया गया। जो अनियमित है तथा मध्य प्रदेश बजट मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत है।

स्थिति शासन एवं विभागाध्यक्ष के ध्यान में लाई जाती है।

कण्डिका–2 निःशुल्क पुस्तकें–स्टेशनरी योजना के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक व्यय राशि ₹ 3.23 लाख।

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पुस्तकें एवं स्टेषनरी प्रदाय करने का प्रावधान है। योजना अन्तर्गत महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को राशि ₹ 1500/– तक की पुस्तकें एवं ₹ 500/– तक की स्टेषनरी निःशुल्क प्रदाय की जाना है। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देषित किया गया है कि:–

1. क्रय की जाने वाली पुस्तकें एवं स्टेषनरी का विधिवत संधारण किया जाये। विद्यार्थियों को पुस्तकें/स्टेषनरी प्रदाय की प्राप्ति के हस्ताक्षर तथा प्रदाय करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर भी हो संधारित किया जाये।
2. पात्र विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर नियमानुसार क्रय किया जाये।
3. ग्लोबल बजट व्यवस्था अन्तर्गत कोषालय से राशि का आहरण पात्र विद्यार्थियों को प्रदाय निःशुल्क स्टेषनरी/पुस्तकों के भुगतान के लिए ही करें।

कार्यालय द्वारा संधारित रोकड़ बही, दैयक पंजी एवं आवंटन/व्यय से संबंधित कोषालय अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक निःशुल्क पुस्तकें/स्टेषनरी योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में अनुसूचित जनजाति दर्ज छात्राओं की संख्या के अनुपात से अधिक व्यय किया जाना पाया गया। विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. क्र.	वर्ष	अनुसूचित जनजाति छात्राओं की दर्ज संख्या	राशि ₹ 2000/– के मान से अनुमन्य व्यय	वास्तविक व्यय (₹ में)	अधिक व्यय (₹ में)
1	2015–16	94	188000	263706	75706
2	2016–17	144	288000	436445	148445
3	2017–18	152	304000	402688	98688
				योग	322839

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि योजना के अन्तर्गत राशि ₹ 322839/– का अधिक व्यय किया गया है।

आपत्ति इंगित किए जाने के बाद कार्यालय प्रमुख द्वारा उत्तर में कहा गया कि छात्राओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों का क्रय किया गया है।

उत्तर लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि शासन के निर्देशों के अनुसार निःशुल्क पुस्तकें–स्टेशनरी योजना के अन्तर्गत निर्धारित सीमा राशि ₹ 2000/– प्रति छात्रा के मान से अधिक व्यय किया गया है।

स्थिति शासन एवं विभागाध्यक्ष के ध्यान में लाई जाती है।

कण्डिका–3 क्रय की निर्धारित प्रक्रिया के बिना उपकरणों का अनियमित क्रय किया जाना राशि ₹ 13.45 लाख।

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–12/24/97/11अ दिनांक 10.11.98 एवं वर्ष 2015 की अवधि के पूर्व मे लागू भण्डार क्रय नियम के अनुसार यदि सामग्री का क्रय राशि ₹ 25000/– अथवा इसके अधिक का किया जाना है तो चाहे एक वस्तु हो अथवा वस्तुओ का समूह का क्रय हमेशा खुली निविदाओं को आमंत्रित किय जाने के पश्चात् किया जाना चाहिये । इसके लिए भारत मे राष्ट्रीय स्तर के एक या दो समाचार पत्रो मे विज्ञापन देकर निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए. जिसमे भण्डार क्रय नियम के अनुसार कलकत्ता मे प्रकाशित "इण्डिया ट्रेड जनरल" को आदर्श माना है।

जहाँ क्रय राशि ₹ 50,000/– से अधिक है, भडार क्रय नियम 7 के अनुसार खुले बाजार से निविदा आमत्रित किए जाने के बजाय डी.जी.एस.एण्ड डी. के माध्यम से ही क्रय किया जायेगा । इसके लिए प्रदाय आदेष सीधे डी.जी.एस.एण्ड डी. को दिया जाता है और भुगतान भी सीधे उन्हीं को किया जायेगा।

कार्यालय द्वारा संधारित रोकड़ बही, देयक पंजी, क्रय नस्थी एवं स्टॉक रजिस्टर की नमूना जाच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013–14 मे कार्यालय द्वारा प्रयोगशाला सामग्री एवं उपकरण हेतु मे रसायन शास्त्र विभाग के लिए (संलग्न सूची अनुसार) राशि ₹ 1465602/– के उपकरण आवंटन एवं क्रय हेतु पत्र कमांक 2090/13 दिनांक 29.08.2013 द्वारा प्रस्ताव आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0शासन, संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल को भेजा गया।

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 1650/1082/2013/38–2 दिनांक 10.12.13 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति तथा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्र. 1020/264/आउषि/योजना/13 दिनांक 13.12.13 के द्वारा बजट आवंटन स्वीकृत किया गया। कार्यालय द्वारा 9 **Fourier Transform Infra Red Spectrophotometer (FTIR)** एवं इसके आवष्यक पार्टस **ATR Liquid Cell, Gas Cell** एवं **Compatible Computer with Software for FTIR** का क्रय हेतु केवल एक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 02 अगस्त 2013 में खुली निविदायें आमंत्रित करने एवं कुछ फर्मो के तुलनात्मक विवरण के पश्चात जय एपलाइसेंस एंड इनस्ट्रूमेंट कम्पनी, सागर से 9 **Fourier Transform Infra Red Spectrophotometer (FTIR)** लागत राशि ₹ 968184/– दिनांक 26.12.2013 एवं इसके आवष्यक पार्टस **ATR Liquid Cell, Gas Cell** एवं **Compatible Computer with Software for FTIR** लागत राशि ₹ 376516/– दिनांक 05.03.2014 क्रय करना पाया गया।

उपरोक्त मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–12/24/97/11अ दिनांक 10.11.98 एवं वर्ष 2015 की अवधि के पूर्व मे लागू भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन करते हुए राशि ₹ 1344700/– का क्रय किया गया ।

आपत्ति इंगित किए जाने के बाद कार्यालय प्रमुख द्वारा उत्तर में कहा गया कि प्रयोगशाला की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्रय किया गया है।

उत्तर लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिय का पालन किए बिना ही उपकरणों का क्रय किया गया है।

कंडिका–4 वित्तीय वर्ष से अधिक समय से जमा पड़ी कॉशन मनी की राशि को राजसात कर शासन के खाते में जमा न किया जाना राशि ₹ 3.10 लाख ।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 562 के अनुसार यदि ₹ 25/– से अधिक की राशि 3 वर्ष से अधिक समय तक अदावित रहती है तो उक्त राशि को मार्च माह के अंत में राजसात कर शासन के खाते में जमा किया जाना चाहिए एवं महालेखाकार को फार्म एम.पी.टी.सी –71 में जमा की सूचना दी जानी चाहिए।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर के लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान कार्यालयीन अभिलेखों कॉशन मनी पंजी एवं कार्यालय द्वारा प्रदाय की गई जानकारी की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा कॉशन मनी नियमित स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं से क्रमशः ₹ 60/– तथा ₹ 100/ प्रति छात्रा काटी गई । जिसे छात्राओं के अध्ययन पूर्ण होने के उपरान्त वापस किया जाना था किन्तु कार्यालय द्वारा छात्राओं के वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक के छात्राओं को अध्ययन /पढ़ाई पूर्ण होने एवं विद्यालय छोड़ने के उपरान्त 3 वर्ष से अधिक समय तक अदावित रहने पर भी 4669 छात्राओं से जमा कराई गई कॉशन मनी की राशि ₹ 3,10,460/– आज दिनांक तक वापस नहीं की गयी है जबकि कार्यालय द्वारा कॉशन मनी की राशि को या तो छात्राओं को अध्ययन पूर्ण उपरान्त वापस कर देना चाहिए था या 3 वर्ष से अधिक समय की अवधि से अदावित रहने पर राजसात कर शासन के खाते में जमा कर देना चाहिए था। विवरण निम्नानुसार है–

क्र.क्र.	सत्र	छात्र संख्या	राशि
1	2009–10	686	47480
2	2010–11	799	53660
3	2011–12	965	60260
4	2012–13	1027	65140
5	2013–14	1192	83920
योग		4669	310460

इस प्रकार कार्यालय द्वारा छात्राओं से जमा कराई गई कॉशन मनी की राशि ₹ 3,10,460/– को न तो छात्राओं को वापस किया गया और न ही राजसात कर शासन के खाते में जमा किया गया है इसके अतिरिक्त राजसात किए जाने वाली राशि का सूची तैयार होना नहीं पाया गया।

आपत्ति इंगित किए जाने के बाद कार्यालय प्रमुख द्वारा उत्तर में कहा गया कि वर्षवार व गई कॉशन मनी की राशि शीघ्र ही नियमानुसार सूची तैयार करके राजसात की कार्यवाई कर श मद में जमा कर दी जावेगी।

(8)

उत्तर लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के अनुसार तीन वर्ष से अधिक समय तक अप्रावित राशि को राजसात कर शासन के खाते में जमा किया जाना चाहिए था ।

स्थिति शासन एवं विभागाध्यक्ष के ध्यान में लाई जाती है।

कंडिका–5 अनुसूचित जनजाति/जाति विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदाय योजना के अन्तर्गत अनियमित व्यय राशि ₹ 6.77 लाख।

शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति/जाति विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदाय करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार पुस्तकों का क्रय मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल से किया जाना है।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर की लेखा परीक्षा के दौरान रोकड़ बही, देयक पंजी एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत पुस्तकों का क्रय मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल के अतिरिक्त अन्य प्रदायकर्ता फर्मों/सप्लायर्स से भी किया जाना पाया गया। कार्यालय द्वारा वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक अन्य प्रदायकर्ता फर्मों/सप्लायर्स से पुस्तकों का क्रय संलग्न **अनुलग्नक–ख** अनुसार राशि ₹ 677095/– का किया जाना पाया गया जो शासन के निर्देशों के विपरीत है।

आपत्ति इंगित किए जाने के बाद कार्यालय प्रमुख द्वारा उत्तर में कहा गया कि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों का क्रय किया गया है।

उत्तर लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल के अतिरिक्त अन्य प्रदायकर्ता फर्मों/सप्लायर्स से भी किया जाना पाया गया जो शासन के निर्देशों के विपरीत है।

स्थिति विभागाध्यक्ष के ध्यान में लाई जाती है।

कंडिका–6 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग न होना राशि ₹ 53.34 लाख एवं अन्य अनियमितताएँ।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर की लेखा परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित रोकड़ बही एवं बैंक खाते की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित बैंक खाता क्रमांक 0297101022014 केनरा बैंक, सागर में संधारित किया जा रहा है जिसमें वर्तमान की स्थिति में राशि ₹ 5333525/– अवरुद्ध होना पाया गया। 12 वीं वित योजना की अवधि समाप्त होने के बावजूद भी राशि का उपयोग होना नहीं पाया गया। आगे अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2010–11 से 2017–18 तक यू.जी.सी. से संबंधित अनुदान राशि के संबंध में वार्षिक लेखे तैयार किया जाना नहीं पाया गया जिसके अभाव में अनुपयोगी राशि किस प्रयोजन के लिये आवंटित की गई थी सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त यू.जी.सी. मद से क्रय किये गये उपकरणों/सामग्री के लिये ई–निविदा प्रक्रिया का पालन किया जाना भी नहीं पाया गया।

आपत्ति इंगित किए जाने के बाद कार्यालय प्रमुख द्वारा उत्तर में कहा गया कि महाविद्यालय में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यय किया जावेगा।

त्तर लेखा परीक्षा मे मान्य नहीं है क्योंकि 12 वीं वित योजना समाप्त होने के बाद भी राशि अनुपयोगी पडी है तथा वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये जाने से अनुपयोगी राशि किन प्रयोजनों से संबंधित है सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

स्थिति शासन एवं विभागाध्यक्ष के ध्यान मे लाई जाती है।

भाग– तीन

(क) पूर्व प्रतिवेदनों के लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही

(i) लेखापरीक्षा प्रारंभ करते समय पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्न प्रकार थी:–

स. क्र.	ले.प.निरी.प्रति.अवधि	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने का दिनांक	लंबित कंडिकायें
1	04/2006 to 03/2010		3, 4, 5

(ii) वर्तमान लेखापरीक्षा में समीक्षा के उपरान्त पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों और लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्न प्रकार रही:–

क्र. (1)	ले.प.निरी.प्रति.अवधि (2)	निर्मित कंडिका (3)	सम्मिलित की गई कंडिकाएं		शेष लंबित कंडिकाऐं कमांक (6)
			वर्तमान निरी. प्रति. में (4)	वर्तमान नमूना जांच टिप्पणी में (5)	
1	04/2006 to 03/2010	3, 4, 5			3, 4

उपर्युक्त सारणी के कॉलम–6 के अनुसार विभिन्न लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों मे अंतिम बकाया कंडिकाओं की स्थिति **परिशिष्ट–क** मे दर्शायी गई है। इन पर विभागाध्यक्ष और सरकार को ध्यान देना आवश्यक है।

(iii) बार–बार होने वाली अनियमितताऐं

स. क्र.	कंडिका का संक्षिप्त विवरण (यहाँ पर अद्यतन (Update) की गई कंडिकाओं को दर्शाना है)	लेखापरीक्षा अवधि (जब कंडिका प्रथमवार ली गई)
1		
2		

भाग--चार
सर्वोत्तम प्रथायें
निरंक

भाग–पाँच
आभार अभिव्यक्ति

लेखापरीक्षा के अन्त मे आयोजित समापन बैठक मे लेखापरीक्षा दल की ओर से इकाई द्वारा लेखापरीक्षा मे किये गये सहयोग के लिये धन्यवाद दिया गया। इकाई मे कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा हेतु वांछित अभिलेख एवं हाफ मार्जिन्स के उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया। लेखापरीक्षा इकाई में नेतृत्व स्तर धारण करने वाले अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है।–

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	डॉ अखिलेश पटेरिया.	प्राचार्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर

कार्यालय प्रमुख द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रथम उत्तर निर्धारित समय अवधि मे प्रेषित कर दिये जाने का आश्वासन दिया गया।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ओ.ए.डी.–3

अनुलग्नक – क

वर्तमान निरीक्षण प्रतिवेदन के भाग तीन में संदर्भित

क्र.	ले0प0नि0प्र0 की अवधि	कंडिका क्र.	आपत्ति का विवरण
1	2	3	4
1	04/2006 से 03/2010	3	स्वीकृत पदों के विरूद्व अधिक कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों का अनियमित आहरण एवं भुगतान राशि ₹ 16.45 लाख ।
		4	विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से प्रदाय राशि का उपयोग नहीं किया जाकर पी.डी. खाते में अवरूद्व रखना राशि ₹ 46.51 लाख ।

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी
एल.ए.पी.–5

12

अनुलग्नक - ब

कंडिका 5.5

नि: शुल्क पुस्तकें प्रदाय योजना के अन्तर्गत अनियमित व्यय से संबंधित विवरण।

Bill No./ Date	Name of Supplier/Firm	Invoice No./Date	Amount (₹)
170/18-12-2013	Vidya Sagar Stationary Sagar	1992/16-12-13	10,581
		1973/12-12-13	3,190
		1960/13-12-13	12,074
171/ —"—	—"—	1998/16-12-13	2,920
189/24-3-15	—"—	430/15-3-15	11,638
		690/28-2-15	36,534
		697/15-3-15	30,427
		695/15-3-15	29,660
	Ram Prasad & Sons, Bhopal	835/2-3-15	49,538
		864/7-3-15	2,310
	Shiv Prakashan, Indore	174/17-3-15	8,173
	Satish Printers & Publishers, Indore	389/28-2-15	10,125
221/25-2-16	Vidya Sagar Stationary Mart, Sagar	776/30-10-15	36,128
	Satish Printers & Publishers Indore	212/14-10-15	3,375
	N.P. Bros. & Co. Tikamgarh	195, 197/14-10-15	36,479
161/5-12-15	Ram Prasad & Sons, Bhopal	474/6-11-15	1,59,548
	N.P. Bros & Co. Tikamgarh	202/4-11-15	2,113
162/5-12-15	Vidya Sagar Stationary Mart, Sagar	778/17-11-15	8,684
		775/20-11-15	56,351
128/6-10-16	—"—	28/3-10-12	23,491
			5,38,337

Scanned by CamScanner

129/6-10-2016	Vidya Sagar Stationary Mart, Sagar	29/3-10-16	4,880
155/29-11-2016	—"—	31/26-10-16	19,404
		34/27-10-16	11,412
		37/ —"—	10,497
		35/26-10-16	9,428
		28/9-11-16	2,725
	Ram Prasad & Sons, Bhopal	155/20-11-16	10,514
	Shiva Prakashan, Indore	58/8-11-16	4,107
156/30-11-16	Vidya Sagar Stationary Mart, Sagar	32/26-10-16	7,056
	Shiva Prakashan, Indore	—	2,738
199/2-3-17	Vidya Sagar Stationary Mart, Sagar	45/25-11-16	31,887
		42/26-11-16	16,598
198/2-3-17	—"—	46/25-11-16	7,313
		43/26-11-16	2,319
158/19-12-17	Ram Prasad & Sons, Bhopal	633/20-11-17	1,834
		632/ —"—	4,585
	ASM Book Center, Gwalior	32/13-12-17	1,950
			₹ 4,77,095

a AC/LA/05

Scanned by CamScanner

आपत्ति–3 क्रय की निर्धारित प्रक्रिया के बिना उपकरणों का अनियमित क्रय किया जाना राशि ₹ 13.45 लाख।

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–12/24/97/11अ दिनांक 10.11.98 एवं वर्ष 2015 की अवधि के पूर्व मे लागू भण्डार क्रय नियम के अनुसार यदि सामग्री का क्रय राशि ₹ 25000/– अथवा इसके अधिक का किया जाना है तो चाहे एक वस्तु हो अथवा वस्तुओ का समूह का क्रय हमेशा खुली निविदाओं को आमंत्रित किये जाने के पश्चात किया जाना चाहिये। इसके लिए भारत मे राष्ट्रीय स्तर के एक या दो समाचार पत्रो मे विज्ञापन देकर निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए, जिसमे भण्डार क्रय नियम के अनुसार कलकत्ता मे प्रकाशित "इण्डियन ट्रेड जनरल" को आदर्श माना है।

जहाँ क्रय राशि ₹ 50,000/– से अधिक है, भण्डार क्रय नियम 7 के अनुसार खुले बाजार से निविदा आमंत्रित किए जाने के बजाय डी.जी.एस.एण्ड डी. के माध्यम से ही क्रय किया जायेगा। इसके लिए प्रदाय आदेश सीधे डी.जी.एस.एण्ड डी. को दिया जाता है और भुगतान भी सीधे उन्हीं को किया जायेगा।

कार्यालय द्वारा संधारित रोकड़ बही, देयक पंजी, क्रय नस्ती एवं स्टॉक रजिस्टर की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013–14 मे कार्यालय द्वारा प्रयोगशाला सामग्री एवं उपकरण हेतु मे रसायन शास्त्र विभाग के लिए (संलग्न सूची अनुसार) राशि ₹ 1485802/– के उपकरण आवंटन एवं क्रय हेतु पत्र क्रमांक 2090/13 दिनांक 29.08.2013 द्वारा प्रस्ताव आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0शासन, संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल को भेजा गया।

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र 1650/1082/2013/38–2 दिनांक 10.12.13 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति तथा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्र. 1020/264/आउवि/योजना/13 दिनांक 13.1... 13 के द्वारा बजट आवंटन स्वीकृत किया गया। कार्यालय द्वारा 9 Fourier Transform Infra Red Spectrophotometer (FTIR) एवं इसके आवश्यक पार्टस ATR Liquid Cell, Gas Cell एवं Compatible Computer with Software for FTIR का क्रय हेतु केवल एक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 02 अगस्त 2013 मे खुली निविदायें आमंत्रित करने एवं कुछ फर्मो के तुलनात्मक विवरण के पश्चात जय एपलाइंसेस एंड इनस्ट्रूमेंट कम्पनी, सागर से 9 Fourier Transform Infra Red Spectrophotometer (FTIR) लागत राशि ₹ 968184/– दिनांक 26.12.2013 एवं इसके आवश्यक पार्टस ATR Liquid Cell, Gas Cell एवं Compatible Computer with Software for FTIR लागत राशि ₹ 376516/– दिनांक 05.03.2014 क्रय करना पाया गया।

उपरोक्त मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–12/24/97/11अ दिनांक 10.11.98 एवं वर्ष 2015 की अवधि के पूर्व मे लागू भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन करते हुए राशि ₹ 1344700/– का क्रय किया गया।

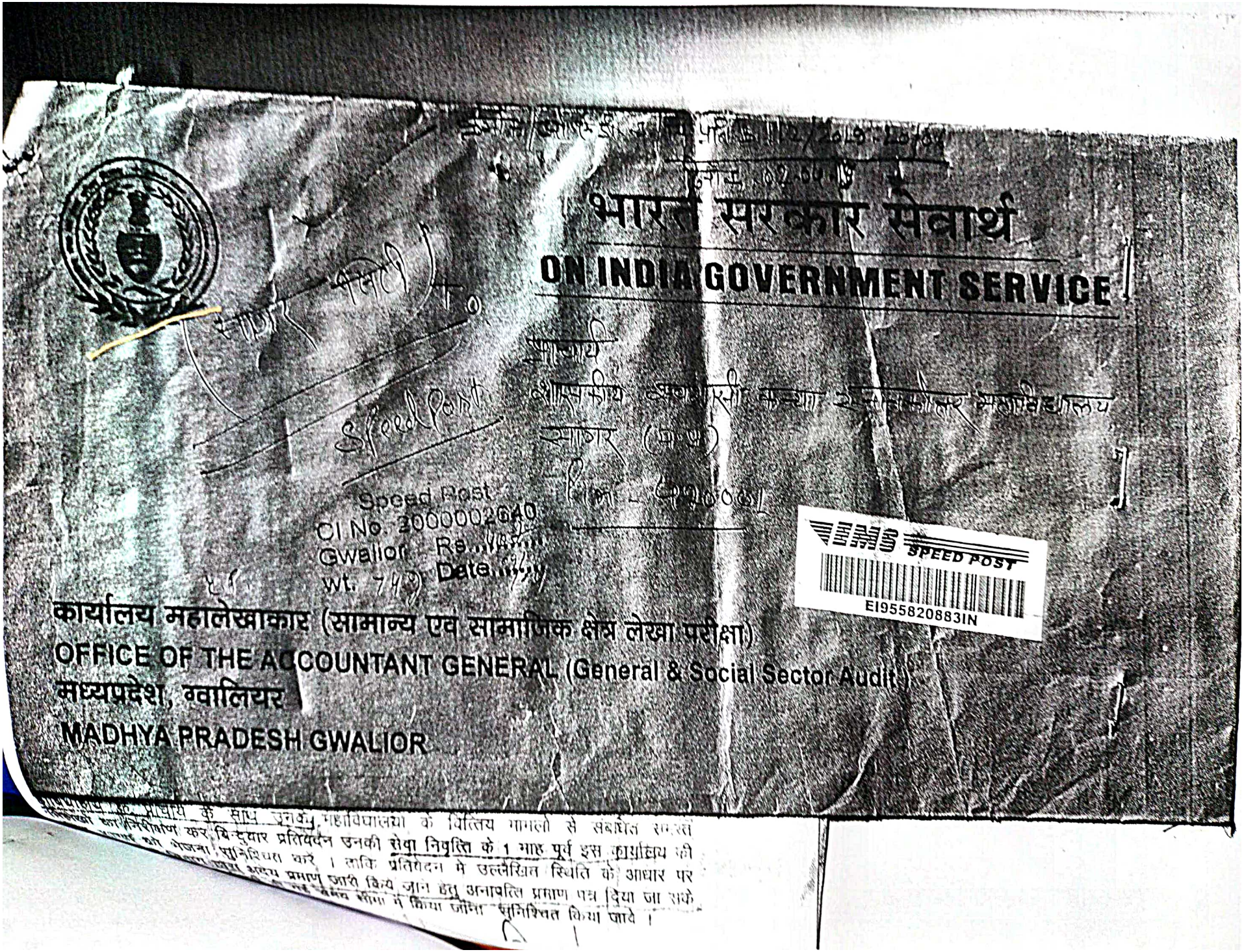

भारत सरकार सेवार्थ

ON INDIA GOVERNMENT SERVICE

प्राचार्य

Speed Post

Speed Post
CI No. 2000002640
Gwalior Rs.......
Wt. ...... Date.......

कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा)
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (General & Social Sector Audit)
मध्यप्रदेश, ग्वालियर
MADHYA PRADESH GWALIOR

EI955820883IN

... के साथ उपकुल महाविद्यालय के वित्तिय मामलों से संबंधित समस्त ... कर बिन्दुवार प्रतिवेदन उनकी सेवा निवृत्ति के 1 माह पूर्व इस कार्यालय को ... भेजना सुनिश्चित करें । ताकि प्रतिवेदन में उल्लेखित स्थिति के आधार पर ... अन्य प्रमाण जारी किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा सके ... सीमा में किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।